संख्या-01/2018/2207/38-3-2017-1101/2017

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्यविकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक- 04 जनवरी, 2018

विषय-अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक मांगों के अंतर्गत प्राविधानित बजट धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''2515-अन्य-ग्राम्य विकास कार्यक्रमों-001-निदेशन तथा प्रशासन-03विकास आयुक्त(मुख्यालय) के अंतर्गत अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त किये जाने विषयक कृपया अपने पत्रांक-893/बजट/2017-18 दिनांक 19.12.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-2/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा पत्र संख्या-3/2017/बी-1/348/दस-2017- 231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017, पत्रांक-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 08 अगस्त, 2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्रांक-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के क्रम में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों संबंधी शासनादेश संख्या-5/2017/349/38-3-2017-1101/2017 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 तथा पत्रांक-6/2017/588/38-3-2017-1101/2017 दिनांक 04 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03विकास आयुक्त(मुख्यालय) के अंतर्गत अनुपूरक बजट के प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार मतदेय धनराशि रू0 3,41,63,000.00 (रू0 तीन करोड इक्तालीस लाख तिरसठ हजार मात्र) तथा भारित धनराशि रू0 10,00,000.00 (रू0 दस लाख मात्र) कुल योग रू0 3,51,63,000.00 (रू0 तीन करोड इक्यावन लाख तिरसठ हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा निर्देशों को ध्यान में रख कर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-2/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्रांक-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में दिये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमके अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखाशीर्षक/मानक इकाइयों के नामे डाली जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,
लाल धीरेन्द्र राव
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-01/2018/2207(1)/38-3-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/अनुभाग-2।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0अम्बरीष कुमार सिंह
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या-01/2018/2207/38-3-2017-1101/2017 दिनांक 04 जनवरी, 2018 का संलग्नक

लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 विकास आयुक्त (मुख्यालय)

(लाख रूपये में)

मानक मद	अनुपूरक के माध्यम से बजट व्यवस्था की धनराशि		**स्वीकृत धनराशि**
	मतदेय	**भारित**	
01-वेतन	298.56	-	298.56
03-मंहगाई भत्ता	10.37	-	10.37
06-अन्य भत्ता	15.61	-	15.61
52-पुनरीक्षित वेतन अवशेष(राजकीय)	17.09	-	17.09
42-अन्य व्यय	-	10.00	10.00
योग (मतदये)	341.63	-	-
योग (भारित)	-	10.00	-
महायोग:-			351.63

कुल योग रू0 3,51,63,000.00/- (रू0 तीन करोड इक्यावन लाख तिरसठ हजार मात्र)

डा0अम्बरीष कुमार सिंह
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।